उत्तर प्रदेश सरकार

निर्वाचन विभाग

अनुभाग

संख्याः2/2019/157/61-2019

लखनऊः दिनांक 15 मार्च, 2019

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन कार्यालय निजी सचिव सेवा के पदों पर भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन कार्यालय निजी सचिव सेवा नियमावली, 2019

भाग एक-सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ **1.** (1) यह नियमावली 'उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन कार्यालय निजी सचिव सेवा नियमावली, 2019' कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति **2.** उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन कार्यालय निजी सचिव सेवा में समूह 'क' और समूह 'ख' के पद समाविष्ट हैं।

http://shasanadesh.up.nic.in

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:-

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;

(ख) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य निजी सचिव (श्रेणी-एक) के पदों के संबंध में निर्वाचन विभाग में सरकार के सचिव और निजी सचिव (श्रेणी-दो) के संबंध में राज्यपाल से है;

(ग) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये;

(घ) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(ङ.) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(च) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(छ) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है;

(ज) ''नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों'' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

http://shasanadesh.up.nic.in

(झ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन कार्यालय निजी सचिव सेवा से है;

(ञ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो, और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(ट) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

<u>भाग दो - संवर्ग</u>

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये।

(2) जब तक कि उप-नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी हैः-

क्र0 सं0	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	कुल
1	निजी सचिव (श्रेणी-1)	1		1
2	निजी सचिव (श्रेणी-2)		1	1

http://shasanadesh.up.nic.in

परन्तु यह किः-

(1) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; या

(2) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग तीन - भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगीः-

(1) निजी सचिव (श्रेणी-1)- मौलिक रूप से नियुक्ति अपर निजी सचिवों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(2) निजी सचिव (श्रेणी-2)- मौलिक रूप से नियुक्त निजी सचिवों (श्रेणी-1) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण

6. शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

भाग चार - भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारण 7. नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया 8. (1) निजी सचिव (श्रेणी-1) और निजी सचिव (श्रेणी-2) के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992 के उपबंधों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के मानदंड) नियमावली, 1994 में निर्धारित मानदंड के आधार पर की जायेगी।

टिप्पणी- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों के प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम-निर्देशन समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-7 के अधीन दिये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) चयन समिति उप-नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी, और यदि वह आवश्यक समझें तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग पॉच - नियुक्ति और ज्येष्ठता

नियुक्ति

9. (1) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें वे नियम-8 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्ति करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के संबंध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख उसी ज्येष्ठता के क्रम में किया जायेगा जैसा कि यथास्थिति, चयन में अवधारित किया गया हो, अथवा उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नति किया गया हो।

ज्येष्ठता

10. सेवा में किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

भाग छः - वेतन आदि

वेतनमान

11. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय का वेतनमान नीचे दिये गये हैं:-

पद का नाम	वेतनमान
1. निजी सचिव (श्रेणी-1)	वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रु0 56,100-1,77,500
2. निजी सचिव (श्रेणी-2)	वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 रु0 67,700-2,08,700

भाग सात - अन्य उपबंध

पक्ष समर्थन

12. किसी पद पर या सेवा के लिए लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

13. ऐसे विषयों के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों द्वारा आच्छादित न हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति, राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत् सरकारी सेवकों पर सामान्यता

http://shasanadesh.up.nic.in

लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों से शिथिलता

14. जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति

15. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पडेगा, जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और व्यक्ति की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव, निर्वाचन

http://shasanadesh.up.nic.in